Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

मई (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- डिजिटल जल वितरण प्रणाली 3
- इन्वेस्टर्स समिट 2024 3
- ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाज़ार 4
- ग्रीन लिंक्स स्पाइडर 4
- राजस्थान में बाल विवाह 5
- अरावली रेंज में अवैध खनन 6
- विवेकानंद छात्रवृत्ति 7
- विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये सौर ऊर्जा 9
- केंद्रीय सिविल सेवा में चयनित उम्मीदवारों को सम्मान 9
- राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला 10
- वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2024 11
- राजस्थान में बढ़ती विद्युत ऊर्जा खपत 12
- राजस्थान की डिजिटल हेल्थकेयर एक्सेस प्रणाली 12
- राजस्थान में हीटवेव का प्रकोप 13
- IMD द्वारा हीट वेव का पूर्वानुमान 15
- नए शैक्षणिक सत्र में गरीब बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता 15
- सेमल वृक्ष 16
- राजस्थान खदान दुर्घटना 17
- सरिस्का टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक 18
- राजस्थान में खदान ब्लॉकों की नीलामी 19
- जयपुर में रेड अलर्ट 19

नोट :

राजस्थान

डिजिटल जल वितरण प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

सिंचाई जल की आपूर्ति की सुविधा के लिये राजस्थान के **श्रीगंगानगर ज़िले** में कृषि क्षेत्रों के लिये एक अनूठी डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई है।

मुख्य बिंदु:

- **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** जयपुर द्वारा विकसित नई प्रणाली किसानों को उनके खेतों तक पहुँचने वाले जल की स्थिति के बारे में जानने में सक्षम बनाएगी और मैन्युअल प्रणाली में अक्सर रिपोर्ट की जाने वाली **मानवीय त्रुटि की गुंजाइश को कम करेगी।**
- डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़िले के सभी किसानों को **जल की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों को हल करने** के लिये गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से जल वितरित करने में **पारदर्शिता बढ़ाएगा।**
- **जल संसाधन विभाग** के अनुसार जल उपयोक्ता संघों के प्रमुख अपने-अपने क्षेत्र के किसानों की जानकारी पोर्टल पर केवल एक बार दर्ज करेंगे। इसके बाद किसानों को सिंचाई बारी की पर्चियाँ स्वत: ऑनलाइन मिल जाएंगी।
- **ऑनलाइन 'बाराबंदी' (निश्चित बारी)** का विस्तार किया जा सकता है और राज्य के अन्य ज़िलों में भी किसानों के लाभ के लिये एक समान जल वितरण प्रणाली के रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

- NIC केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों को **नेटवर्क बैकबोन और ई-गवर्नेंस** सहायता प्रदान करता है।
- NIC **राष्ट्रव्यापी अत्याधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) बुनियादी ढाँचे** की स्थापना के अलावा शासन के विभिन्न पहलुओं में सरकार के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
- इसने विभिन्न स्तरों पर सरकार का समर्थन करने के लिये बड़ी संख्या में डिजिटल समाधान भी बनाए हैं, जिससे **नागरिकों को अंतिम छोर तक सरकारी सेवाओं की डिलीवरी एक वास्तविकता बन गई है।**
- यह **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तत्त्वावधान में है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।**

इन्वेस्टर्स समिट 2024

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार **दिसंबर 2024 में तीन दिवसीय** इन्वेस्टर्स समिट की मेज़बानी करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार औद्योगीकरण को गति देने के लिये सालाना इन शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु:

- **राज्य में व्यापार क्षेत्र का मानना है** कि ऐसी घटनाओं की नियमित घटना संभावित रूप से उद्योग विभाग की अन्य ज़िम्मेदारियों से ध्यान, प्रयास और धन को दूर कर सकती है, क्योंकि इन आयोजनों के आयोजन में पूरे वर्ष की व्यापक योजना तथा तैयारी शामिल होती है।
- **नीति निर्माण से लेकर कार्यान्वयन, बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रशासन एवं निगरानी, विवाद समाधान और अन्य ज़िम्मेदारियों तक** उद्योग-अनुकूल वातावरण प्रदान करने का कार्य कठोर है।

नोट :

- क्षेत्र में अन्य राज्यों से निवेश आकर्षित करने के लिये एक आकर्षक औद्योगिक नीति विकसित करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाज़ार

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान का पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 5 से 7 मई, 2024 तक **जयपुर** में **13वें** ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार (GITB) की मेज़बानी करेगा।

मुख्य बिंदु:

- विभाग **केंद्र के पर्यटन मंत्रालय और** भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ **(The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI)** के साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
- राज्य में **राजस्थान की कला, पर्यटन और इतिहास** पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- आयोजन के पहले दिन **'वेड इन इंडिया एक्सपो'** होगा जिसका उद्देश्य **देश-विदेश के पर्यटकों को राजस्थान में शादी करने के लिये प्रोत्साहित करना है।**
- आयोजन के दूसरे और तीसरे दिन **विदेशी टूर ऑपरेटरों** के साथ **बिज़नेस-टू-बिज़नेस बैठकें** आयोजित की जाएंगी। उन्हें पूरे राजस्थान का भ्रमण भी कराया जाएगा।
- **ऑल वेडिंग इंडस्ट्रीज़ फेडरेशन राजस्थान** के महासचिव के मुताबिक, **राजस्थान में प्रत्येक वर्ष 15 से 20 लाख शादियाँ होती हैं।**
- यदि पर्यटन उद्योग और राज्य सरकार मिलकर प्रयास करें तो **राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है।** इससे **डेस्टिनेशन वेडिंग में 5-10% की बढ़ोतरी हो सकती है।**
- इससे लाखों लोगों को **रोज़गार के नए अवसर** मिलेंगे। सरकार को भी राजस्व मिलेगा और **होटल व पर्यटन क्षेत्र** से जुड़े लोगों को अच्छा कारोबार मिलेगा।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI)

- FICCI **वर्ष 1927 में स्थापित एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है।**
- यह भारत का सबसे बड़ा व सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है, जिसका इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इसके औद्योगीकरण और सबसे तेज़ी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में इसके उद्भव से जुड़ा हुआ है।

ग्रीन लिंक्स स्पाइडर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के **ताल छापर** में **ग्रीन लिंक्स स्पाइडर** पाई गई। मकड़ी की इस प्रजाति का नाम **प्युसेटिया छपराजनिरविन (Peucetia chhaparajnirvin)** रखा गया है।

मुख्य बिंदु:

- यह मकड़ी **चूरू ज़िले** के ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में निर्मला कुमारी द्वारा फील्डवर्क के दौरान पाई गई थी।
- एकत्रित नमूनों को **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की कीट विज्ञान प्रयोगशाला** में जमा कर दिया गया है।
- इस प्रजाति की **पहचान और वर्णन** अमरावती ज़िले के **जेडी पाटिल सांगलुडकर महाविद्यालय, दरियापुर** में **स्पाइडर रिसर्च लैब** में किया गया था।
- यह मकड़ी **बबूल (Vachellia nilotica) पेड़** की हरी पत्तियों पर पाई जाती है। इनका हरा रंग परिवेश में अनुकूलित होने और शिकार पर घात लगाने में सहायता करता है, जबकि लंबे पैर इन्हें तेज़ी से आगे बढ़ने में सहायक होते हैं।
  - यह मकड़ी **रात्रिचर** होती है और **छोटे-छोटे कीड़ों को खाती** है। अभयारण्य क्षेत्र में जलवायु परिस्थितियाँ अत्यधिक गर्म होती हैं और अत्यधिक ठंडी होती हैं।

नोट :

- ये **छोटी झाड़ियों और शाक पौधों में वृहद् रूप से पाए जाने वाले कीट,** जो पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, का शिकार करते हैं तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र में कीटों को नियंत्रित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- ये मकड़ियाँ **विभिन्न प्रकार के पतंगों** जैसे बॉलवर्म कीट, लीफवर्म कीट, लूपर कीट **और उनके लार्वा का शिकार** करती हैं।

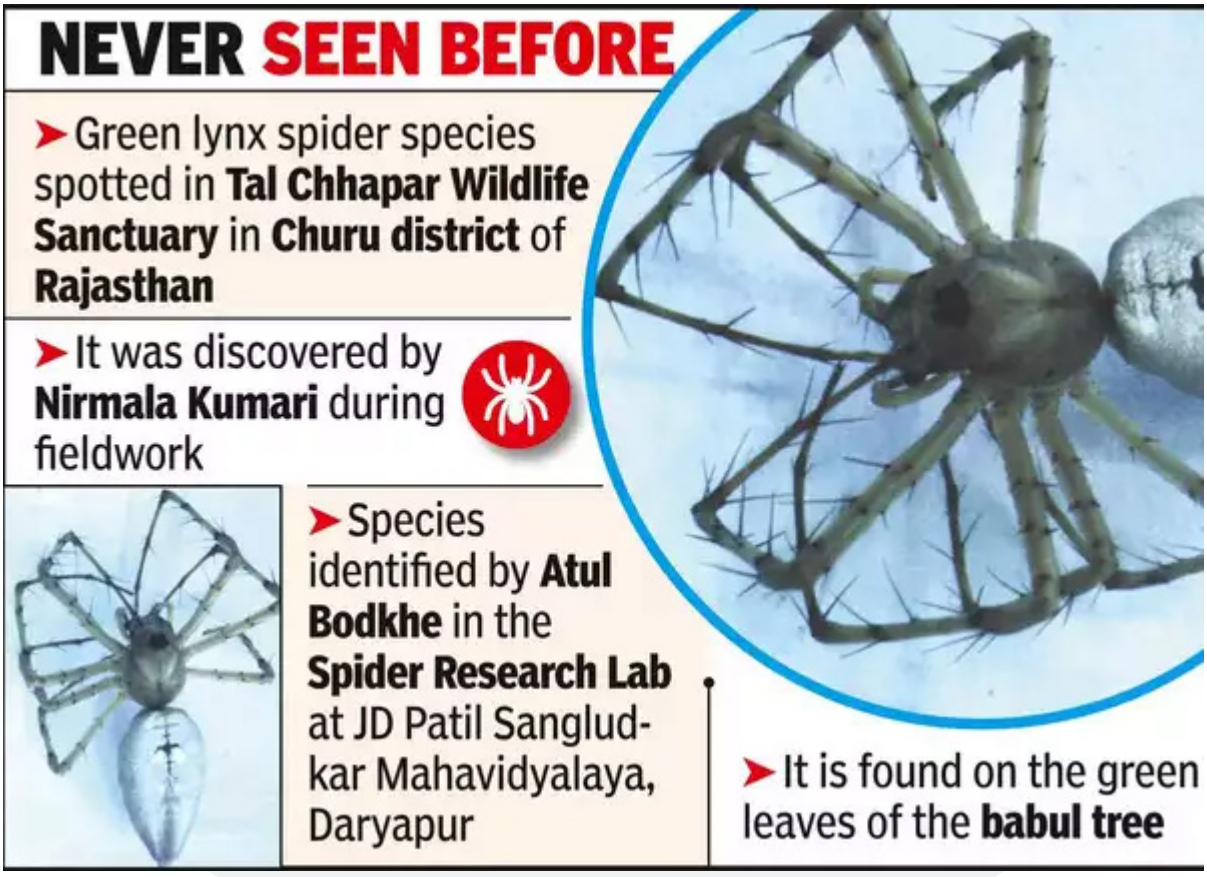

ताल छापर अभयारण्य

- ताल छापर अभयारण्य **भारतीय महा मरुस्थल की सीमा पर** स्थित है।
- यह अभयारण्य भारत में पाए जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप **"द ब्लैकबक"** का एक **विशिष्ट आश्रय स्थल** है।
- इसे **वर्ष 1966 में अभयारण्य का दर्जा** दिया गया था।
  - ताल छापर **बीकानेर के पूर्व शाही परिवार का एक शिकार अभयारण्य** था।
- **"ताल"** शब्द राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ **समतल भूमि** होता है।
- इस अभयारण्य में **लगभग समतल क्षेत्र हैं** जहाँ वर्षा जल उथले निचले इलाकों से बहता हुआ छोटे तालाबों में एकत्रित हो जाता है। यहाँ उगने वाले **बबूल और प्रोसोपिस के पौधों** के साथ खुले एवं विस्तृत घास के मैदान इसे एक विशिष्ट सवाना का रूप देते हैं।

राजस्थान में बाल विवाह

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि **राज्य में कोई भी बाल विवाह न हो** और यदि **ऐसे विवाह होते हैं तो ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।**

नोट :

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय का आदेश **10 मई 2024** को अक्षय तृतीया त्योहार से पहले आया, क्योंकि राजस्थान में अक्षय तृतीया पर कई बाल विवाह संपन्न होते हैं।
- न्यायालय ने बाल विवाह को रोकने के लिये न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाली **जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस** की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के बावजूद राज्य में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं।
  - **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006** की **धारा 11** के तहत, यदि सरपंच और पंच लापरवाही से बाल विवाह को रोकने में विफल रहते हैं तो उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का कर्त्तव्य सरपंच पर डाला गया है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

- इस अधिनियम ने **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929** का स्थान लिया जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था।
- बाल विवाह में बच्चे का तात्पर्य **21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष** और **18 वर्ष से कम उम्र की महिला** से है।

संबंधित पहल:

- **धनलक्ष्मी योजना:** यह बीमा कवरेज के साथ एक बालिका के लिये सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
  - इसका उद्देश्य **माता-पिता को चिकित्सा खर्चों के लिये बीमा कवरेज की पेशकश** और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करके समाज में **बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन करना** भी है।
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP):** इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना तथा बाल विवाह को हतोत्साहित करना है।

अरावली रेंज में अवैध खनन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि राजस्थान में अरावली पर्वतश्रेणी में अवैध खनन रोका जाना चाहिये।

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय के एमिकस क्यूरी (निष्पक्ष सलाहकार) के अनुसार, राजस्थान सरकार ने **केवल उन पर्वतों को अरावली पर्वतश्रेणी से संबंधित** मानकर न्यायालय को धोखा देने की कोशिश की, **जो कम-से-कम 100 मीटर ऊँचे** थे, जबकि **इस पर्वतश्रेणी में छोटी पहाड़ियों को शामिल नहीं किया गया** था।
  - अरावली **एकमात्र भू-स्थलाकृति** है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली **शुष्क हवाओं को** गंगा के मैदानी इलाकों **में आने से रोकती है।**
  - अरावली एक **प्राकृतिक प्रहरी** है। इसके ह्रास से मौसम शुष्क जलवायु में बदल जाएगा।
- नवंबर 2023 में न्यायालय ने **अरावली में** पुरापाषाणकालीन खोजों पर ध्यान दिया था और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण को उस स्थल की रक्षा करने का निर्देश दिया था, जो राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा भी हो सकता है।

अरावली पर्वतश्रेणी

- उत्तर-पश्चिमी भारत की अरावली पर्वतश्रेणी, जो विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, में 300 मीटर से 900 मीटर की ऊँचाई वाले अवशिष्ट पर्वतों की शृंखला है। इनका **विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक 800 किमी. की दूरी तक** और **हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व दिल्ली में 692 किमी. (किमी) तक** है।

नोट :

- पर्वतश्रेणी को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है - **सांभर सिरोही रेंज** और **राजस्थान में सांभर खेतड़ी रेंज**, जहाँ इनका विस्तार लगभग 560 किमी. है।
- तीक्ष्ण वलयन (**Orogenic Movement**) ये वलित पर्वत हैं जिनमें चट्टानें मुख्य रूप से वलित पर्पटी से निर्मित हैं, जब दो अभिसरण प्लेटें **तीक्ष्ण वलयन (Orogenic Movement)** नामक संचलन प्रक्रिया द्वारा एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

- **संस्कृति मंत्रालय** के तहत ASI, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
  - **प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958** ASI के कामकाज को नियंत्रित करता है।
    - यह 3650 से अधकि प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्वकि स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में **ASI के पहले महानिदेशक अलेक्ज़ेंडर कनिंघम** ने की थी। अलेक्ज़ेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्त्व के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।

विवेकानंद छात्रवृत्ति

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान ने **अकादमिक उत्कृष्टता के लिये स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति** हेतु फंडिंग को कम करने का विकल्प चुना है, जिसे मूल रूप से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा **अकादमिक उत्कृष्टता के लिये राजीव गांधी छात्रवृत्ति** के रूप में स्थापित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- जिन छात्रों की **वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है,** उन्हें अब अगले **शैक्षणिक सत्र से ट्यूशन फीस** का एक हिस्सा जमा करना होगा।
- छात्रवृत्ति में विभिन्न आय समूहों के 500 प्रतिभाशाली छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस शामिल थी। इसमें विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये 300 छात्रवृत्तियाँ और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग में शीर्ष 50 संस्थानों में चुने जाने वालों के लिये 200 छात्रवृत्तियाँ शामिल थीं।
  - हालाँकि उच्च शिक्षा विभाग ने सुझाव दिया कि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को **ट्यूशन फीस का 10%** भुगतान करना चाहिये लेकिन वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
  - इसके अलावा, **8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय के साथ उच्च आय वर्ग में आने वाले छात्रों को अब ट्यूशन शुल्क का क्रमश: 15% और 30%** भुगतान करना होगा।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग

- **परिचय:**
  - NIRF विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश भर के संस्थानों को रैंक करने की एक पद्धति है।
  - NIRF को शिक्षा मंत्रालय (पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया था और 29 सितंबर, 2015 को लॉन्च किया गया था।
  - **देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) की रैंकिंग के लिये यह सरकार का प्रथम** प्रयास है।
- **NIRF रैंकिंग हेतु पैरामीटर्स:** प्रत्येक पैरामीटर के लिये वेटेज, संस्थान की श्रेणी के आधार पर भिन्न होता है।

नोट :

Fig. 1: NIRF Parameters for Ranking of Institutions

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रत्येक वर्ष **क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS)** द्वारा जारी की जाती है।
- रैंकिंग **पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन** करती है।
- कार्यप्रणाली शैक्षणिक प्रतिष्ठा, संकाय-छात्र अनुपात, नियोक्ता प्रतिष्ठा, स्थिरता, रोज़गार परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, प्रति संकाय उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात जैसे संकेतकों पर विचार करती है।
- ये **विषय, क्षेत्र, छात्र शहर, बिजनेस स्कूल और स्थिरता के आधार पर रैंकिंग** प्रदान करते हैं।

नोट :

विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये सौर ऊर्जा

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा **पर निर्भरता को** मौजूदा 12-14 % से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 40 % से अधिक करने पर विचार कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- शहरीकरण और औद्योगिक विकास के साथ राज्य में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति प्रत्येक वर्ष 8 से 10% बढ़ सकती है।
  - अगले पाँच वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सौर उत्पादन केंद्रों को बढ़ावा देने की योजना तथा रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - इन प्रयासों से **कोयला आधारित संयंत्रों पर निर्भरता भी कम होगी।**
- योजना के मुताबिक राज्य में पीएम सूर्य घर योजना के पहले चरण में **500,000 घरों में सब्सिडीयुक्त रूफटॉप सिस्टम लगाए जाने हैं।**
  - राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान की कमीशन की गई **सौर ऊर्जा क्षमता 1,296 मेगावाट (Mw)** से अधिक थी, जबकि सबसे अच्छा वर्ष 2021-2022 था जब कमीशन की गई **सौर ऊर्जा 5,398 मेगावाट से अधिक थी। दिसंबर 2023 तक राज्य में कुल सौर क्षमता 15,195 मेगावाट से अधिक थी।**
- राजस्थान की **सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 142 गीगावॉट** आंकी गई है।
  - राज्य में **तीव्र सौर विकिरण** के मामले में विशाल अप्रयुक्त क्षमता है, जिसमें एक वर्ष में धूप वाले दिनों की संख्या सबसे अधिक है और विशाल अप्रयुक्त सरकारी व निजी भूमि की उपलब्धता है।
  - इसमें राजस्थान को **सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये अत्यधिक पसंदीदा स्थान बनाने** की क्षमता है।

पीएम सूर्य घर योजना

- यह एक अग्रणी सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक करोड़ घरों की **छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली** स्थापित करना है।
- **रूफटॉप सौर पैनल** एक इमारत की छत पर स्थापित **फोटोवोल्टिक पैनल** हैं जो मुख्य विद्युत आपूर्ति इकाई से जुड़े होते हैं।
- यह **ग्रिड से जुड़ी विद्युत की खपत** को कम करता है और उपभोक्ता के लिये विद्युत की लागत में कमी लाता है।
  - छत पर सौर संयंत्र से उत्पन्न **अधिशेष सौर ऊर्जा इकाइयों** को मीटरिंग प्रावधानों के अनुसार ग्रिड में निर्यात किया जा सकता है।
  - उपभोक्ता प्रचलित नियमों के अनुसार अधिशेष निर्यातित विद्युत के लिये मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

केंद्रीय सिविल सेवा में चयनित उम्मीदवारों को सम्मान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने **वर्ष 2023 संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा** उत्तीर्ण करने के बाद केंद्रीय सिविल सेवा में चयनित राज्य के उम्मीदवारों को सम्मानित किया।

- उन्होंने जयपुर में एक समारोह में **युवा अधिकारियों को पगड़ी और शॉल पहनाकर** तथा **स्मृति चिह्न देकर उनका स्वागत** किया।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे जिस भी पद पर नियुक्त हों, वहाँ **ईमानदारी और समर्पण** के साथ कार्य करें।
- मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर समारोह में शामिल हुए युवा अधिकारियों ने महिला सशक्तीकरण, शिक्षा प्रणाली में सुधार, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने और केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य की रैंकिंग में सुधार जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किये।

नोट :

स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) 2023

- इसे **वर्ष 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA)** द्वारा बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने की दिशा में शहरों को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रतिस्पर्द्धी ढाँचे के रूप में पेश किया गया था।
  - पिछले कुछ वर्षों में, स्वच्छ सर्वेक्षण **विश्व में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है।**
- SS- 2023 में, अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण, अपशिष्ट उत्पादन के अनुरूप शहरों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि और डंपसाइटों पर जाने वाले अपशिष्ट में कमी को **अतिरिक्त महत्त्व दिया गया** है।
  - **प्लास्टिक की चरणबद्ध कटौती, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण, अपशिष्ट को वंडर पार्कों में तब्दील करने को प्रोत्साहित करने** और शून्य अपशिष्ट घटनाओं की आवश्यकता पर ज़ोर देने के लिये **अतिरिक्त महत्त्व के साथ** संकेतक पेश किये गए हैं।
- SS- 2023 के माध्यम से शहरों के भीतर **वार्डों की रैंकिंग** को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
- शहरों द्वारा सामना किये जा रहे **'खुले में पेशाब' (पीले धब्बे)** और **'खुले में थूकना' (लाल धब्बे)** के मुद्दों पर समर्पित संकेतकों के आधार पर भी शहरों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- MoHUA द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों की **पिछली/पार्श्व गलियों की सफाई** को बढ़ावा दिया जाएगा

राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राजस्थान में केंद्रपोषित जल जीवन मिशन योजना घोटाला मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के अनुसार, जयपुर स्थित ठेकेदारों ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से निविदाएँ प्राप्त करने के लिये कथित तौर पर **इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON)** द्वारा जारी फर्जी समापन प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया।
- अगस्त 2023 में दर्ज आठ महीने से लंबित प्रारंभिक जाँच के निष्कर्ष के बाद CBI द्वारा कार्रवाई की गई।

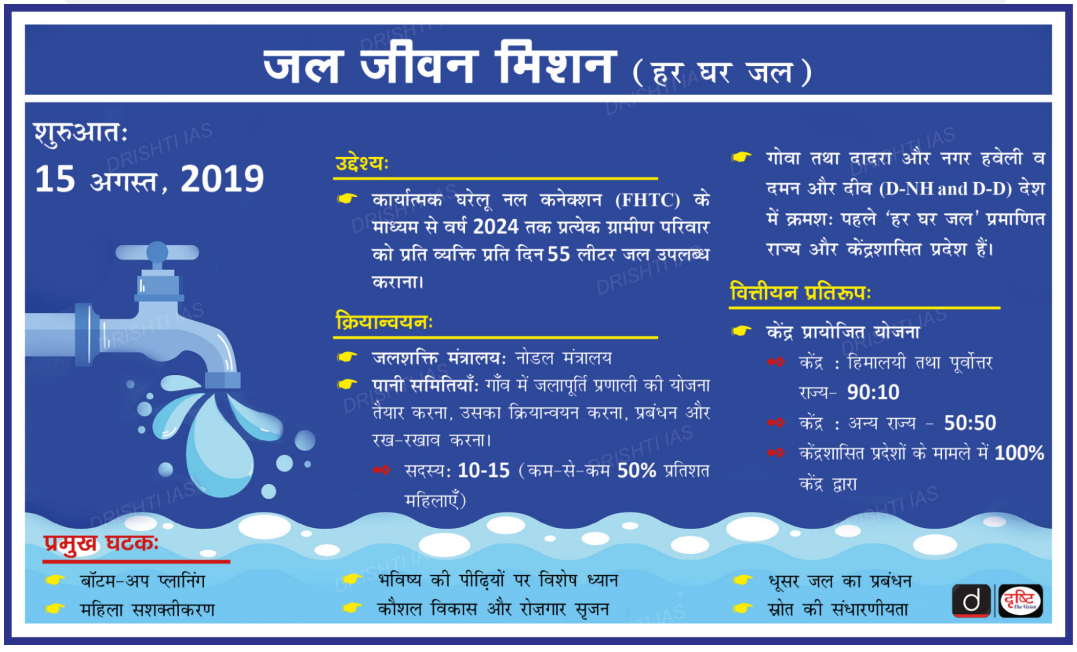

नोट :

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) **भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी** है।
  - यह **केंद्रीय सतर्कता आयोग** और **लोकपाल** को सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग [जो प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office-PMO) के अंतर्गत आता है] के अधीक्षण में कार्य करता है।
  - हालाँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) के पास है।
- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो **इंटरपोल** की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है।
- इसकी अपराध सिद्धि दर (Conviction Rate) 65 से 70% तक है, अत: इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR

- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) **एक लिखित दस्तावेज़** है जो पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे **किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना** प्राप्त होती है।
- यह एक सूचना रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुँचती है, इसीलिये इसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट** कहा जाता है।
- यह आमतौर पर एक **संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा** पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत होती है। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है।
- FIR शब्द **भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973** या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है।
- हालाँकि पुलिस नियमों या कानूनों में **CrPC की धारा 154 के तहत** दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में जाना जाता है।
- FIR के **तीन महत्त्वपूर्ण तत्त्व** हैं:
  - जानकारी एक **संज्ञेय अपराध से संबंधित** होनी चाहिये।
  - यह सुचना लिखित या **मौखिक रूप में थाने के प्रमुख को** दी जानी चाहिये।
  - इसे **मुखबिर द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये** और इसके **प्रमुख बिंदुओं** को **दैनिक डायरी में दर्ज** किया जाना चाहिये।

वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन (International Organization for Migration- IOM) ने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की।

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट **वैश्विक प्रवास पैटर्न में महत्त्वपूर्ण बदलावों** का खुलासा करती है, जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है।
- **पूरे विश्व में अनुमानित 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के साथ, संघर्ष, हिंसा, आपदा और अन्य कारणों** से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या आधुनिक रिकॉर्ड में उच्चतम स्तर तक बढ़ गई है, जो 117 मिलियन तक पहुँच गई है, जो विस्थापन संकट को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।
- भारत में **राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश** से आंतरिक प्रवास पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- भारत संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहने वाले **विश्व के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों (18 मिलियन)** की मेज़बानी करता है।
- वर्ष 2022 में, भारत 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त करने वाला शीर्ष प्रेषण गंतव्य बना रहा तथा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आँकड़े तक पहुँचने और उससे आगे निकलने वाला पहला देश बना रहा।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन (International Organization for Migration-IOM)

- **परिचय:**
  - द्वितीय विश्व युद्ध की उथल-पुथल के बाद यूरोप से प्रवासियों के आंदोलन के लिये अनंतिम अंतर सरकारी समिति (PICMME) के रूप में वर्ष 1951 में **इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन/अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन** की शुरुआत हुई।
  - वर्ष 1952 में इसका नाम **PICMME** से बदलकर **इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर यूरोपियन माइग्रेशन (ICEM)**, वर्ष 1980 में **इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर माइग्रेशन (ICM)** और अंतत: वर्ष 1989 में **इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन** कर दिया गया, जो एक प्रवासन एजेंसी के रूप में इसके विकास को दर्शाता है।
  - वर्ष 2016 में, IOM ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता किया, जो एक संबंधित संगठन बन गया।
- **सदस्य:** वर्तमान में इसके 175 सदस्य राज्य और 8 राज्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है
  - **भारत 18 जून 2008 को IOM सदस्य राज्य बन गया।**
- इसका **मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।**

राजस्थान में बढ़ती विद्युत ऊर्जा खपत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बढ़ते तापमान के कारण राजस्थान में विद्युत ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि हो रही है, जो राज्य के विद्युत क्षेत्र के लिये चिंता का विषय है।

मुख्य बिंदु:

- बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये राजस्थान प्रत्येक वर्ष बढ़ी हुई कीमत पर दूसरे राज्यों से विद्युत खरीदता है।
  - भारत में तापमान बढ़ने के साथ ऊर्जा विभाग द्वारा व्यवस्था करने में विफलता के कारण उपभोक्ताओं के लिये विद्युत की कमी हो सकती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर काफी असर पड़ सकता है।
- अप्रैल 2023 में राज्य में 2,450 लाख यूनिट से अधिक विद्युत का उपयोग किया गया। अप्रैल 2024 में यह संख्या बढ़कर 2,700 लाख यूनिट से अधिक हो गई और मई 2024 के पहले सप्ताह में बढ़कर 2,900 लाख यूनिट हो गई।
  - उम्मीदें वर्ष 2024 में विद्युत की खपत में 8-10% की वृद्धि का संकेत देती हैं।
- राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 24,000 मेगावाट से अधिक है, लगभग 58% कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से आती है और लगभग 10-12% सौर संयंत्रों द्वारा उत्पन्न होती है।

राजस्थान की डिजिटल हेल्थकेयर एक्सेस प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिये डिजिटलीकरण के साथ एक नई एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिये तैयार है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- नई ऑनलाइन प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करेगी और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं एकल खिड़की प्रक्रियाओं की सुविधाएँ तैयार करेगी।
  - परियोजना को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाएगा और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिये संबंधित विभाग एवं एजेंसियाँ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेंगी।
- ऑनलाइन प्रणाली के एक हिस्से के रूप में, आम लोगों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचने वाले मरीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुविधा मिलेगी, डिजी-स्वास्थ्य लॉकर, कतार के झंझट से मुक्ति, एकीकृत डिजिटल सर्वेक्षण, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) आधारित डैशबोर्ड, टेली-मेडिसिन गहन देखभाल इकाई, जियोटैगिंग आधारित अस्पताल मानचित्र, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस और नॉ-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिये एकल खिड़की प्रक्रियाओं की सुविधा मिलेगी।
- नई प्रणाली के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM)

- इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2005 में लॉन्च) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2013 में लॉन्च) को मिलाकर लॉन्च किया गया था।
- मुख्य प्रोग्रामेटिक घटकों में प्रजनन-मातृ-नवजात शिशु-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) तथा संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के लिये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना शामिल है।
- NHM न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है जो लोगों की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी हो।

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (Rajasthan Medical Services Corporation- RMSCL)

- इसे 4 मई, 2011 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- इसे चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के लिये जेनेरिक दवाओं, सर्जिकल, टाँके एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिये एक केंद्रीकृत खरीद एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।

राजस्थान में हीटवेव का प्रकोप

चर्चा में क्यों ?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department- IMD) के मुताबिक, पश्चिम राजस्थान और केरल में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- बंगाल की खाड़ी से देश में तीव्र आर्द्रता का प्रवाह बढ़ रहा है, जिसके कारण आकाशीय बिजली के साथ-साथ तड़ित झंझा की गतिविधि भी बढ़ रही है।
- IMD के अनुसार, यदि अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है, तो क्षेत्र हीटवेव से प्रभावित होता है।
- संक्षेप में, हीटवेव एक ऐसी स्थिति है जहाँ हवा का तापमान उच्च होने पर यह मानव स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

नोट :

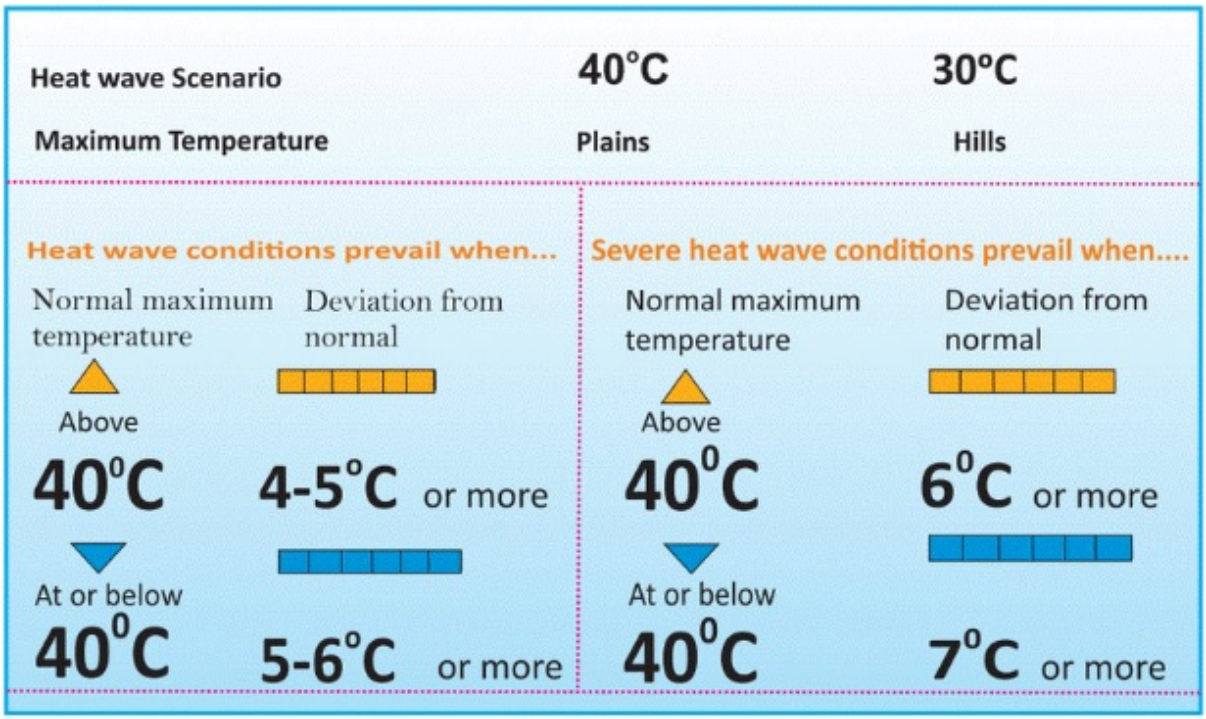

हीटवेव के कारण

- **ग्लोबल वार्मिंग:**
  - भारत में हीटवेव के प्राथमिक कारणों में से एक ग्लोबल वार्मिंग है, जो जीवाश्म ईंधन के दहन, निर्वनीकरण और औद्योगिक गतिविधियों जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को संदर्भित करता है।
  - ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप उच्च तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिससे हीटवेव चल सकती है।
- **शहरीकरण:**
  - तेज़ी से शहरीकरण और शहरों में कंक्रीट के वनों का विकास "नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव" के रूप में जानी जाने वाली घटना को उत्पन्न कर सकता है।
  - उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्र, इमारतें और कंक्रीट की सतहें विशेषकर हीटवेव के दौरान अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती हैं तथा इसे बरकरार रखती हैं, जिससे तापमान उच्च होता है।
- **प्री-मॉनसून सीज़न में अपर्याप्त बारिश:**
  - कई क्षेत्रों में नमी कम होने से भारत का एक बड़ा हिस्सा शुष्क और बंजर हो गया है।
  - भारत में एक असामान्य प्रवृत्ति, मानसून-पूर्व वर्षा ऋतु के आकस्मिक समाप्त होने से हीटवेव में वृद्धि हुई है।
- **अल नीनो प्रभाव:**
  - अल नीनो प्राय: एशिया में तापमान बढ़ाता है, जो मौसम के पैटर्न के साथ मिलकर रिकॉर्ड उच्च तापमान बनाता है।
  - दक्षिण अमेरिका से आने वाली व्यापारिक पवन आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पश्चिम में एशिया की ओर चलती हैं लेकिन प्रशांत महासागर के गर्म होने से ये हवाएँ दुर्बल हो जाती हैं।
- इसलिये आर्द्रता और ऊष्मा की मात्रा सीमित हो जाती है तथा परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में कमी एवं असमान वितरण होता है।

नोट :

IMD द्वारा हीट वेव का पूर्वानुमान

चर्चा में क्यों ?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने **पश्चिम राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण हरियाणा** में स्थिति के साथ उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव का पूर्वानुमान लगाया है।

मुख्य बिंदु:

- **क्षेत्रीय मौसम केंद्र (RWFC) दिल्ली** के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर हीट वेव का भी अनुमान है।
- लोकसभा चुनाव **2024 के चौथे चरण** के दौरान, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि चुनाव के लिये जाने वाले **संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना है** और **मतदान के दिन इन क्षेत्रों में हीट वेव जैसी कोई स्थिति नहीं होगी।**

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD)

- IMD की स्थापना **वर्ष 1875** में हुई थी। यह देश की **राष्ट्रीय मौसम विज्ञान** सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
  - यह भारत सरकार के **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
- IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन **के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।**

नए शैक्षणिक सत्र में गरीब बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत **निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता पर लिया है।**

मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के अनुसार, राज्य के 31,857 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिये **3.08 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन किया था।**
  - निजी स्कूलों में **25% सीटें समाज के कमज़ोर वर्ग** के छात्रों से भरी जाएंगी।
- **प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय** ने स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं और कक्षा 1 में RTE प्रवेश हेतु दो श्रेणियों के लिये आयु सीमा तय करते हुए एक प्रावधान किया है।
  - तीन से चार वर्ष की आयु के बच्चों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है और छह से सात वर्ष के बीच के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश पाने के पात्र होते हैं।
- राज्य में बड़ी संख्या में **निजी स्कूलों** ने प्री-प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश को लेकर **चिंता व्यक्त की है** क्योंकि इस श्रेणी को वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा किसी छात्र को कक्षा 1 में पदोन्नत होने तक तीन वर्ष की **फीस के भुगतान के लिये किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के बिना जोड़ा गया था।**

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत वर्ष 2009 में बच्चों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा इसे **अनुच्छेद 21-A** के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया।
- RTE अधिनियम का उद्देश्य **6 से 14 वर्ष की आयु** के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।

नोट :

- **धारा 12 (1) (C)** में कहा गया है कि **गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर** और वंचित पृष्ठभूमि के **बच्चों के लिये प्रवेश स्तर ग्रेड में कम- से-कम 25% सीटें आरक्षित करें।**
- यह **गैर-प्रवेशित बच्चे को आयु के अनुरूप** कक्षा में प्रवेश देने का भी प्रावधान करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच **वित्तीय एवं अन्य ज़िम्मेदारियों को साझा करने** के बारे में भी जानकारी देता है।
  - भारतीय संविधान में शिक्षा **समवर्ती सूची** का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं।
- यह छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR), भवन और बुनियादी ढाँचा, स्कूल-कार्य दिवस, शिक्षकों के लिये कार्यावधि से संबंधित **मानदंडों तथा मानकों** का प्रावधान करता है।
- इस **अधिनियम में गैर-शैक्षणिक कार्यों** जैसे- स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा **अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है।**
- यह **अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति** का प्रावधान करता है।
- **यह निम्नलिखित का निषेध करता है:**
  - शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।
  - बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिंग प्रक्रिया।
  - प्रति व्यक्ति शुल्क।
  - शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।
  - बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय।
- यह **बच्चे को उसके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम** के माध्यम से भय, आघात एवं दुश्चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।

सेमल वृक्ष

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण राजस्थान में सेमल वृक्षों की संख्या में कमी आ रही है जिससे क्षेत्र के वनों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु:

- दक्षिणी राजस्थान में भील और गरासिया आदि स्थानों पर सेमल बड़ी मात्रा में काटा जाता है तथा उदयपुर में बेचा जाता है।
- यह कटाई **राजस्थान वन अधिनियम, 1953** से लेकर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तक कई कानूनों का उल्लंघन करती है।
- सेमल एक अभिन्न प्रजाति है जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ रखती है। शैल-मधुमक्खियाँ इसकी शाखाओं पर घोंसला बनाती हैं क्योंकि वृक्ष के प्ररोह में उगे नोंक (Spike) इसके शिकारी स्लॉथ बियर से बचाव करती हैं।
- जनजातीय समुदायों के सदस्य मानसून के दौरान भोजन के लिये वृक्ष की लाल जड़ का सेवन करते हैं। **बुक्कुलैट्रिक्स क्रेटरेक्मा (*Bucculatrix crateracma*)** कीट के लार्वा इसकी पत्तियों को खाते हैं।
- **गोल्डन-क्राउन्ड गौरैया** अपने घोंसलों की परत इनके बीजों की सफेद रुई से बुनती है।
- **डिस्डेर्कस बग, इंडियन क्रेस्टेड साही,** हनुमान लंगूर और कुछ अन्य प्रजातियाँ इसके फूलों के रस का आनंद लेती हैं।

नोट :

- क्षेत्र की **गरासिया जनजाति** भी मानती है कि वे सेमल वृक्ष के वंशज हैं। **कथोडी जनजाति** इसकी लकड़ी का उपयोग संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिये करती है जबकि भील इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिये करते हैं।

सेमल वृक्ष (Semal Tree)

- **रेशम कपास के वृक्ष और बॉम्बेक्स सेइबा** के नाम से भी जाना जाने वाला सेमल वृक्ष भारत का स्थानीय तथा तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है।
- यह अपने विशिष्ट, नुकीले लाल फूलों और इसके रोयेंदार बीज की फली के लिये जाना जाता है जिसमें कपास जैसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग कभी तकिये तथा गद्दे भरने के लिये किया जाता था।
- यह वृक्ष अपने सजावटी मूल्य के लिये बहुमूल्य है और प्राय: उद्यान एवं बगीचों में उगाया जाता है।

इंडियन क्रेस्टेड साही (Indian Crested Porcupine)

- **वैज्ञानिक नाम:** हिस्ट्रिक्स इंडिका (*Hystrix indica*)
- **भौगोलिक सीमा:** यह पूरे **दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया** एवं **मध्य पूर्व** के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इज़रायल, ईरान तथा सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं।
- **व्यवहार:**
  - रात्रिचर जीव जो **प्रत्येक रात लगभग 7 घंटे भोजन** की तलाश में बिताते हैं।
  - **प्राकृतिक गुफाओं या खोदे गए बिलों** में रहते हैं।
  - शिकारियों में **बड़ी बिल्लियाँ, भेड़िये, लकड़बग्घा और मनुष्य** शामिल हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN स्थिति:** कम चिंतनीय (LC)
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972:** अनुसूची IV

राजस्थान खदान दुर्घटना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान में एक खदान में फँसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सभी 15 अधिकारियों को 15 मई, 2024 को बचा लिया गया।

मुख्य बिंदु

- कोलिहान खदान में अधिकारियों को खदान शाफ्ट से नीचे ले जाने वाली लिफ्ट की रस्सी टूट गई, जिससे यह घटना घटी।
- बचाव प्रयास पूरी रात जारी रहा और सभी **14 बचे लोगों** को उपचार के लिये जयपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया।
- **कोलिहान खदान** राजस्थान में **हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड** के स्वामित्व वाली यंत्रीकृत भूमिगत **तांबे की खदानें** हैं।
- खनन किये गए अयस्क का प्रसंस्करण **खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के कंसेंट्रेटर प्लांट** में किया जाता है।
- कोलिहान खदान **नीम का थाना ज़िले** में स्थित है और **खेतड़ी कॉपर बेल्ट के उत्तरी सिरे** का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 162.23 हेक्टेयर है।

खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स

- खेतड़ी **अरावली रेंज की तराई** में स्थित है, जो **ताम्र अयस्क** का भंडार है और उत्तर में सिंघाना से लेकर दक्षिण में रघुनाथगढ़ तक इसे 80 किमी. लंबा मेटलोजेनेटिक प्रांत/क्षेत्र बनाता है, जिसे **खेतड़ी कॉपर बेल्ट** के नाम से जाना जाता है।

नोट :

- इस बेल्ट/पेटी में सघन **वलित प्रोटेरोज़ोइक अवसादी चट्टान** हैं जिनका आधार नीस चट्टानें हैं और उत्तरी दिल्ली वलित पेटी/फोल्ड बेल्ट का एक हिस्सा है।
- बेल्ट के प्रमुख खनिज भंडार हैं: **खेतड़ी, कोलिहान, बनवास, चाँदमारी, धानी बसरी, बरेनीवालों की ढाणी** (नीम का थाना, राजस्थान)।
- अन्य भंडार हैं: **ढोलमाला, अकवाली, मुरादपुरा-पचेरी (झुंझुनू, राजस्थान) और देवतालाई (भीलवाड़ा, राजस्थान)।**

सरिस्का टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिज़र्व के निकट क्षेत्रों में की जा रही सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी।

- **क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH)** के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय ने राजस्थान सरकार से गतिविधियों को बंद करने की योजना बनाने या उसके आदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।
- राजस्थान सरकार ने न्यायालय को बताया कि अप्रैल 2023 में दिये गए आदेश के अनुसार खनन पर प्रतिबंध राष्ट्रीय उद्यानों **और वन्यजीव अभयारण्यों** से इको-सेंसिटिव ज़ोन (1 किमी.) पर लागू था तथा यह टाइगर रिज़र्व पर लागू नहीं होता था।
  - अप्रैल 2023 के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के अंदर तथा इसकी सीमाओं के बाहर एक किलोमीटर के दायरे में खनन की अनुमति नहीं है।
- न्यायालय के अनुसार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 **की धारा 38XA** से पता चलता है कि व्याघ्र अभयारण्य पर वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता है।

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

- **परिचय:**
  - सरिस्का टाइगर रिज़र्व अरावली पर्वतमाला में स्थित है जो राजस्थान के अलवर ज़िले का एक हिस्सा है।
  - सरिस्का को **वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में वर्ष 1978 में इसे व्याघ्र अभयारण्य घोषित किया गया**, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया।
  - इस **रिज़र्व में खंडहर हो चुके मंदिर, किले, मंडप और एक महल** हैं।

नोट :

- कंकरवाड़ी किला रिज़र्व के केंद्र में स्थित है और कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने सिंहासन के उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने भाई दारा शिकोह को इस किले में कैद कर लिया था।
- रिज़र्व में पांडुपोल में पांडवों से संबंधित भगवान हनुमान का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है।

- **वनस्पति और जीव:**
  - यह रिज़र्व वनस्पतियों और जीवों में बेहद समृद्ध है तथा रॉयल बंगाल टाइगर के लिये प्रसिद्ध है।
  - पार्क में **तेंदुए, नीलगाय, साँभर, चीतल** आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।

राजस्थान में खदान ब्लॉकों की नीलामी

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने राज्य में **छोटे और बड़े ब्लॉकों की नीलामी** के लिये परिसीमन कार्य में तेज़ी लाने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- अवैध खनन गतिविधियों से निपटने के लिये सरकार कई खनन स्थलों को तैयार करने और बेचने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- खनिज अन्वेषण के लिये ड्रिलिंग और रिपोर्ट के विश्लेषण से मूल्यवान खनिजों के अवैध खनन से निपटने में सहायता मिलेगी, जिससे **राज्य में राजस्व एवं रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।**
- सरकार ने अधिकारियों से खनिज विभाग के कार्यालयों और क्षेत्रों में जल संचयन प्रणाली विकसित करने को कहा है।
  - इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को विभाग के कार्यालयों में ई-फाइलिंग प्रणाली का कुशल संचालन सुनिश्चित करने और प्रसंस्करण समय को कम करने का निर्देश दिया गया।
- **राजस्थान 57 से अधिक विभिन्न खनिजों का उत्पादन करने वाले देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है।** खान विभाग ने **वर्ष 2023-2024 के दौरान 7,490 करोड़ रुपए** से अधिक का राजस्व अर्जित किया।
- खान विभाग ने अन्वेषण, ड्रिलिंग, नीलामी के लिये ब्लॉक एवं भूखंड तैयार करने, नीलामी कैलेंडर बनाने और राजस्व संग्रह के लिये रोड मैप तैयार करके दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है।

अवैध खनन

- अवैध खनन भूमि या जल निकायों से **आवश्यक परमिट, लाइसेंस या सरकारी प्राधिकरणों से नियामक अनुमोदन के बिना** खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण है।
- इसमें **पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी** शामिल हो सकता है।
- **भारत में खनन से संबंधित कानून:**
  - भारत के संविधान की **सूची-II (राज्य सूची)** की क्रम संख्या 23 की प्रविष्टि राज्य सरकार को अपनी **सीमाओं के अंदर स्थित खनिजों** के स्वामित्त्व के लिये बाध्य करती है।
  - **सूची-I (केंद्रीय सूची) की क्रम संख्या 54** पर प्रविष्टि केंद्र सरकार को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अंदर खनिजों के मालिक होने का अधिकार देती है।
  - इसके अनुसरण में खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) (MMDR) अधिनियम 1957 बनाया गया था।
  - लघु खनिजों से संबंधित नीति और कानून बनाने की **शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंपी गई है,** जबकि **प्रमुख खनिजों से संबंधित नीति एवं कानून केंद्र सरकार के तहत खान मंत्रालय** द्वारा निपटाए जाते हैं।

जयपुर में रेड अलर्ट

चर्चा में क्यों ?

जयपुर मौसम विभाग ने **रेड अलर्ट जारी किया** है क्योंकि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में तापमान 49 डिग्री से अधिक होने का पूर्वानुमान है, जिसमें **"स्वास्थ्य को लेकर कमज़ोर व्यक्तियों के लिये अत्यधिक देखभाल"** पर ज़ोर दिया गया है

नोट :

मुख्य बिंदु:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। **जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र** में भीषण हीट वेव दर्ज की जाएगी।
- चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिये बीकानेर ज़िला प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर जल का छिड़काव शुरू कर दिया है।
- इसके अतिरिक्त, **राज्य सरकार ने** पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये **जल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी हैं।**

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- **परिचय:**
  - यह देश की **राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा** है और **मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों** से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
  - यह भारत सरकार के **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- **उद्देश्य:**
  - कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिये मौसम संबंधी अवलोकन करना और वर्तमान एवं **पूर्वानुमानित मौसम संबंधी** जानकारी प्रदान करना।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉर्थवेस्टर, धूल भरी आँधी, भारी बारिश और बर्फ, ठंड तथा ग्रीष्म लहरें आदि जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं, **जो जीवन एवं संपत्ति के विनाश का कारण बनती हैं,** के प्रति चेतावनी देना।
  - **कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, तेल की खोज** और अन्य राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों **के लिये आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े** प्रदान करना।
  - मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में **अनुसंधान का संचालन एवं प्रचार करना।**

✦ ✦ ✦ ✦

The Vision

नोट :